

फर्द अहकाम

(विषय 26)

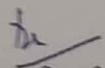
आज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

मंगल सिंह पिता मानसिंह राजपूत नि. छीतरपुरा

बनाम

दुर्गालाल पिता बंशी दरोणा नि. छीतरपुरा वगैरा

फिस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 91/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मग इनिशियल्स आज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुये
28.03.22	प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉब रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम छीतरपुरा प. ह. भगुनगर तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 61/20 कुल किता 01 रकबा 0.8840 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्गित कृषि आराजी के पड़ौसी अप्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगदी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगदी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तारीख में प्रार्थी का सपथ पत्र संलग्न है। मेने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2074 से 2077 तक के अवलोकन से पत्थरगदी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 राते रे एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम छीतरपुरा प. ह. भगुनगर तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 61/20 कुल किता 01 रकबा 0.8840 हैक्टेयर की बसामतात पड़ोसियान के पत्थरगदी करने हेतु मू अभिलेख निरीक्षक अनगरगढ को कमिस्तर नियुक्त किया जाता है। कमिस्तर फीस 500- रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट सिध प्रस्तुत करे। आदेश आज दिनांक 03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।  उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा)	